



बिहार सरकार

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना-800 014

संख्या-FC/61/2017-**369**

प्रेषक,

राकेश कुमार, भा०व०से०

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,

बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक- **२४/०५/२०२०**

विषय- श्री ब्रजेन्द्र कुमार सिंह द्वारा समस्तीपुर जिलान्तर्गत SH-88 वर्लण ब्रिज-रसियारी पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 0.013875 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग - भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/Others/29974/2017/2879, दिनांक 24.01.2019,

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा वन भूमि अपयोजन की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक सहमति (Stage-I) पत्र में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन प्रयोक्ता एजेंसी के पत्र दिनांक 25.10.2019 एवं दिनांक 27.12.2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त हुआ है, जो निम्नवत् है-

क्र० सं०	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राँची का पत्र दिनांक 24.01.2019 में निहित कंडिका	अनुपालन
1	Legal status of forest land proposed for diversion shall remain unchanged.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
2	The State Govt. shall charge the Net Present Value (NPV) of forest area proposed to be diverted under this proposal from the user agency as per Orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.03.2008.....	NPV मद में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 0.013875 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रु० 6.26 लाख प्रति हे० की दर से कुल रु० 8,686/- (आठ हजार छः सौ छियासी रुपये) मात्र को Account No. 1506219929974800, BIHAR CAMPA, Corporation Bank, New Delhi, में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 21.09.2019 को राशि जमा करा दी गई है, जिसका UTR No. SBINR52019 092100023771 है।
3	Additional amount of NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होती है, तो उसका भुगतान करेंगे।

4	The State Government shall plant 50 trees to maintain the green cover at the project cost. Planting site for the purpose shall be identified by the State Forest Department preferably within or in the surrounding area of the project. Indigenous tree species should be preferred for such plantation. The user agency shall transfer the cost of plantations and its maintenance for 10 years.....	हरितावरण को बनाये रखने 50 पौधों के रोपण का 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि ₹ 0 5,43,719.00 (रु० पाँच लाख तैतालीस हजार सात सौ उनीस) मात्र को Account No. 1506219929974800 एवं 1506219929974794, BIHAR CAMPA, Corporation Bank, New Delhi, में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांस्फर कर दिनांक 21.09.2019 एवं दिनांक 23.12.2019 को राशि जमा करा दी गई है, जिसका UTR No. SBINR52019092100023771 एवं SBIN219357 452293 है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, समरतीपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये 50 पौधों का 10 वर्षीय प्राक्कलन इस पत्र के साथ संलग्न है।
5	User Agency should ensure that the compensatory levies (CA cost, NPV, etc.) and deposited through challan generated online on web portal and deposited in appropriate bank online only. Amount deposited	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सभी प्रकार की राशि e-challan के माध्यम से फंड ट्रांस्फर कर दिनांक 21.09.2019 एवं 23.12.2019 को राशि जमा करा दी गई है (बैंक e-challan RTGS/ NEFT की विस्तृत विवरणी इस पत्र के साथ संलग्न)।
6	The boundary of the forest land proposed for diversion, shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
7	The approach road to petrol pump/ fuel station should be as per the following norms issued by the Ministry of Road Transport and Highways.....	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(a)	Fuel station should generally be part of rest area complex having other amenities like place for parking, toilets, restaurants, rest rooms shops etc.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(b)	Suitable signs and markings showing the location of the fuel station may be provided without disturbing the road side plantations.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(c)	Entire Periphery of the establishment should be lined up with tree plantation at a close spacing of 1.0 to 1.5 meter keeping an offset of 1.5 meter from the boundary,...	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(d)	Suitable plantations should be raised by the user agency along the approach road, separator	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
8	Earth or any other material shall not be brought from and debris resulting during construction shall not	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
9	It will be the responsibility of the User Agency to ensure that the labourers, staff	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
10	The lay out plan of the proposed forest land shall not be changed without prior approval.....	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।

11	The forest land proposed for diversion shall, under no circumstances be transferred to any other agency,	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
12	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
13	The user agency and the State Government shall ensure	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
14	Any other conditions that the Ministry of Environment & Forests may impose from time to time in the interest of afforestation, conservation and management of flora and fauna in the area, shall be complied by the user agency.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि क्षेत्रीय कार्यालय राँची, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा समय—समय पर वन अच्छादन, वृक्ष संरक्षण एवं वन प्रबंधन के संबंध में जारी दिशा—निर्देशों/ शर्तों का पूरी तरह से अनुपालन किया जायेगा।

इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage- I) में अधिरोपित सभी शर्तों का अनुपालन किया गया है।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से विषयाधीन परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.013875 हेक्टेक्टर सुरक्षित वन घोषित पथ किनारे की भूमि के अपयोजन हेतु अंतिम स्वीकृति (Stage - II) निर्गत करने का अनुरोध करने की कृपा की जाय। प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुशंसा प्राप्त है।

अनु०—यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/—

(राकेश कुमार)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक—FC/61/2017- 369

दिनांक—२८/०५/२०२४

प्रतिलिपि : वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर अंचल, मुजफ्फरपुर/वन प्रमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर वन प्रमंडल, समस्तीपुर को सूचना हेतु प्रेषित।

ह०/—

(राकेश कुमार)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक—FC/61/2017- 369

दिनांक—२८/०५/२०२४

प्रतिलिपि : श्री ब्रजेन्द्र कुमार सिंह, पिता—बैद्यनाथ प्रसाद सिंह, ग्राम—मेरवारा, पो.+थाना—सिंधिया, जिला—समस्तीपुर को सूचना हेतु प्रेषित।


१३.३.२०२४

(राकेश कुमार)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

Proforma

1	Name of Regional Office	Eastern Region, Ranchi				
2	State/Distt./ Forest Division to Which the proposal Relates	Bihar/Samastipur/ Samastipur Forest Division, Samastipur.				
3	Name of User Agency nature of proposal	Shri Brajendra Kumar Singh / IOCL Retail Outlet				
4	Extent of forest area involved	0.013875 Ha.				
5	Whether Original, or extension	Original				
6	If extension of lease, Pl clarify if proposal involves additional forest area, and if so, specify	-NA-				
7	Date of 1st stage Clearance	24.01.2019				
8	Extent of CAMPA charges head wise viz.					
	a.Compensatory Afforestation	5,43,719/-				
	b. Additional CA	-NA-				
	C. Penal CA	-NA-				
	d. Catchment Area Treatment	-NA-				
	e. Wildlife Management Plan	-NA-				
	f. Additional Charges for diversion of area falling under notified/Protected areas	-NA-				
	g. Net present Value	8,686/-				
	h. Any other charges/Levies (Pl Specify)	-NA-				
9	Details of Bank RTGS/NEFT head-wise against items indicated in paragraph	S.No	MODE Remtt.	UTR No. & Date	Amount	Head
		1	e-challan	SBINR52019092100023771 and SBIN219357452293 dated. 21.09.19 and 23.12.19	8,686/-	NPV
		2			5,43,719/-	CA
				Total-	5,52,405/-	
10	Whether deposited by RTGS, if so, the particulars & date of remittance	As above.				
11	Bank in which deposited, with date of deposition.	All above e-challan sent to Corporation Bank, New Delhi on dt. 21.09.2019 and 23.12.2019.				
12	Any other remarks					


(Rakesh Kumar)
 Signature of APCCF (CAMPA)-
 cum-Nodal Officer (FC), Bihar.